न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : ममता सैनी, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 285/2015

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 144/2014 पुलिस थाना राजनगर

सी.आई.एसे. नंबर – 453/15

राजस्थान राज्य। ....अभियोगी

बनाम

1. श्रीमती जेतीदेवी पत्नी नेनालाल माली, निवासी– देवगढ थाना देवगढ जिला राजसमन्द।
2. तुलसीदास पुत्र श्री मोहनदास वैष्णव, निवासी–बलीचा थाना खमनोर जिला राजसमन्द। **(मृत्यु होने से कार्यवाही ड्रॉप)**
3. पुष्करलाल पुत्र श्री रूपलाल वैष्णव, निवासी– गुडली, थाना देलवाडा जिला राजसमन्द। **(मफरूर)**
4. रामचन्द्र पुत्र श्री मोतीलाल वैष्णव निवासी– बैडवास थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर।

...... अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 411, 201, 120बी भारतीय दण्ड संहिता 1860

उपस्थित–
1. श्री अरविन्द लक्षकार, अभियोजन अधिकारी–राज्य की ओर से।
2. श्री घनश्यामसिंह भाटी, अधिवक्ता–अभियुक्त रामचन्द्र की ओर से।
3. श्री रामचन्द्र देवपुरा, अधिवक्ता–अभियुक्त जेतीदेवी की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 29.10.2025**

1. यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पुष्करलाल मफरूर है एवं अभियुक्त तुलसीदास की मृत्यु हो चुकी है इसलिए यह निर्णय केवल अभियुक्तगण जेतीदेवी व रामचन्द्र के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कंपनी जरिये ब्रांच मेनेजर प्रफुल रंजन ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी

राजनगर के समक्ष दिनांक 19.06.14 को इस आशय की पेश की कि प्रार्थी कंपनी वाहनों पर वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है जिससे श्रीमती जेतीदेवी ने अपने वाहन टाटा एलपीटी 2515 रजिस्ट्रेशननंबर आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/— रूपए की वित्तीय सुविधा दिनांक 26.06.12 को प्राप्त की थी जिसे जेतीदेवी को 31 मासिक किश्तों में मय ब्याज 6,31,293/— रूपए अदा करने थे तथा उक्त वाहन के सबंध में घीसूसिंह द्वारा गारण्टी दी गई थी। जेती द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सुविधा के पेटे कंपनी में मात्र 78575/— रूपए ही अदा किये गये व उसके बाद किश्तों में चूंक कारित की गई जिस पर कंपनी द्वारा जेतीदेवी को कई बार सूचित किया गया फिर भी उसके द्वारा कोई किश्त कंपनी में जमा नहीं करवाई गई। प्रार्थी कंपनी को थाना राजनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त वाहन से संबंधित कोई मुकदमा तुलसीदास द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है तथा तुलसीदास द्वारा उक्त वाहन जेतीदेवी से प्राप्त करना बताया है जबकि जेतीदेवी उक्त वाहन को हाईपोथीकेशन अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकती है। जेतीदेवी के द्वारा कंपनी के विरूद्ध छल करते हुए वाहन किसी अन्य को बेच दिया है .... इत्यादि। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजनगर द्वारा प्रकरण संख्या 144/2014 धारा 420, 406 भा.द.सं. में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण जेतीदेवी, तुलसीदास, रामचन्द्र व पुष्करलाल के विरुद्ध धारा 420,406,411,201,120बी भा.द.सं. के अपराध में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण जेतीदेवी, तुलसीदास, रामचन्द्र व पुष्करलाल को अपराध अंतर्गत धारा 420,406,411,201,120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 प्रफुल्ल रंजन, पी.ड.2 मुबारिक हुसैन, पी.ड.3 जमनालाल, पी.ड.4 उमा, पी.ड.5 तुलसीदाम, पी.ड.6 डूंगरसिंह कर्णावट, पी.ड.7 किशनसिंह, पी.ड.8 अवतारसिंह, पी.ड.9 मुकेश चन्द्र, पी.ड.10 बरकत खान, पी.ड.11 हरीराम, पी.ड.12 मंजुर हुसैन को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित रिपोर्ट प्रपी.1, चाक एफ.आई.आर. प्रपी.2, लोन की समरी रिपोर्ट प्रपी.3, लोन पर हाईपोथिकेशन एग्रीमेण्ट प्रपी.4, वाहन नंबर आर.जे.30 जी 2289 की आर.

सी. प्रपी.5,तुलसीदास व जेती का विक्रय इकरार प्रपी.6, फर्द गिरफ्तारी जेतीदेवी प्रपी.7, फर्द जब्ती प्रपी.8, फर्द बरामदगी स्थल प्रपी.9, फर्द गिरफ्तारी रामचन्द्र प्रपी. 10,फर्द जब्ती प्रपी.11, फर्द बरामदगी स्थल प्रपी.12, विक्रय इकरारनामा तुलसीदास व पुष्कर प्रपी.13, फर्द घटना तस्दीक प्रपी.14, फर्द जब्ती प्रपी.16, फर्द बरामदगी स्थल प्रपी.17, मालखाना रजिस्टर की नकल प्रपी.18ए, फर्द घटना तस्दीक प्रपी.19, फर्द गिरफ्तारी तुलसीदास प्रपी.19 को प्रदर्शित कराया गया।

नोटः— दस्तावेज प्रपी.15 सहवन से किसी भी दस्तावेज पर अंकित नहीं किया गया है एवं प्रपी.19 सहवन से दो दस्तावेज फर्द घटना तस्दीक व फर्द गिरफ्तारी तुलसीदास पर अंकित हो गया हैं।

5. अभियुक्तगण जेतीदेवी व रामचन्द्र का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्त जेतीदेवी ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए कथन किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। वह फाईनेंस कंपनी को नहीं जानती है व उसने लोन नहीं लिया है। उसने किसी के पक्ष में कोई इकरार भी नहीं लिखा है और तुलसीदास को नहीं जानती है। इसके साथ ही प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर समाप्त किया गया। अभियोजन साक्ष्य के दौरान पुलिस बयान जमनालाल प्रडी.1 को प्रदर्शित करवाया।

6. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता है और अभियोजन के साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा परिवादी कंपनी को प्रवंचित कर धोखा देने के आशय से वाहन को हाईपोथिकेशन के दौरान अन्य व्यक्ति को बेचकर छल करते हुए विक्रय राशि को स्वयं उपयोग में लेकर आपराधिक दुविर्नियोग करने के तथ्यों की पूर्ण रूप से अपने बयानों में ताईद की है जिसकी पुष्टि प्रलेखीय साक्ष्य से भी पूर्ण रूप से होती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि अभियुक्तगण किसी प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र में लिप्त नहीं रहे हैं तथा न ही उनके द्वारा

परिवादी के साथ कोई छल कारित किया है। अभियोजन के गवाहान् में भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध में लिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. उभय पक्ष की बहस के तर्क प्रकरण में कारित अपराध में उल्लेखित घटना के सम्बन्ध में सुनने एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न प्रकार से हैः—

> **1. क्या दिनांक 19.06.14 से पूर्व किसी समय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कोरर्पोरेशन लिमिटेड से अभियुक्ता जेतीदेवी द्वारा अपने वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/— रूपए का ऋण प्राप्त कर बिना किश्तें चुकाए वाहन के हाईपोथिकेशन पर होते हुए उक्त वाहन को तुलसीदास को बेचकर परिवादी कंपनी के साथ बेईमानीपर्वूक छल करते हुए उक्त राशि को प्रार्थी कंपनी को नहीं लौटाकर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित किया तथा मुलजिम तुलसीदास व पुष्कर ने उक्त वाहन के हाईपोथिकेशन पर होना जानते हुए क्रय किया एवं पुष्कर व रामचन्द्र ने उक्त ट्रक के संबंध में साक्ष्य का विलोप करने के आशय से बेचे गए ट्रक को काटकर खुर्द बुर्द किया?**
>
> **2. यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र हैं ?**

9. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यान पूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 12 साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पीरीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में एफआईआरकर्ता प्रफुल्ल रंजन ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 में यह कथन किया है कि वह प्रार्थी कंपनी वाहनों पर वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है जिससे श्रीमती जेतीदेवी ने अपने वाहन टाटा एलपीटी 2515 रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/— रूपए की वित्तीय सुविधा दिनांक 26.06.12 को प्राप्त की थी जिसे जेतीदेवी को 31 मासिक किश्तों में मय ब्याज 6,31,293/— रूपए अदा करने थे तथा उक्त वाहन के सबंध में घीसूसिंह द्वारा गारण्टी दी गई थी। जेती द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सुविधा के पेटे

कंपनी में मात्र 78575 / — रूपए ही अदा किये गये व उसके बाद किश्तों में चूंक कारित की गई जिस पर कंपनी द्वारा जेतीदेवी को कई बार सूचित किया गया फिर भी उसके द्वारा कोई किश्त कंपनी में जमा नहीं करवाई गई। प्रार्थी कंपनी को थाना राजनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त वाहन से संबंधित कोई मुकदमा तुलसीदास द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है तथा तुलसीदास द्वारा उक्त वाहन जेतीदेवी से प्राप्त करना बताया है जबकि जेतीदेवी उक्त वाहन को हाईपोथीकेशन अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकती है। जेतीदेवी के द्वारा कंपनी के विरूद्ध छल करते हुए वाहन किसी अन्य को बेच दिया है .... इत्यादि।

10. इसी के साथ उक्त लिखित रिपोर्ट प्रपी.1 के अनुक्रम में परिवादी प्रफुल्ल रंजन पी.ड.1 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थापित था। श्रीराम फाइनेंस वितीय सुविधाएं प्रदान करती थी। श्रीमती जेतीदेवी पत्नि नेनालाल माली निवासी मालियों का मोहल्ला सुरज दरवाजा देवगढ जिला राजसमंद ने उसके वाहन टाटा एलपी टी 2515 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 30 जी 2289 पर जेतीदेवी ने 4,87,000 रूपये का श्रीराम फाइनेंस कंपनी से दिनांक 26.06.2012 का लोन प्राप्त किया था। जिसकी श्रीमती जेतीदेवी को कुल 31 मासिक किस्ते मय ब्याज के कुल छः लाख 31 हजार 293 रूपये श्रीराम फाइनेंस कंपनी को जमा करवाने थे। इस लोन की गांरटी घीसुसिंह ने दी थी। जेतीदेवी ने लोन पेटे 78575 चुकाये थे। जेतीदेवी ने उक्त लोन की किस्तो को चुकाने में चुक की। जिस पर श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने जेतीदेवी को बकाया किस्ते चुकाने हेतु सूचित किया। किंतु जेतीदेवी द्वारा बकाया किस्ते नहीं चुकाई तथा उसे पुलिस थााना राजनगर से सूचना मिली कि तुलसीदास ने किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व पुलिस थाना राजनगर में मुकदमा दर्ज कराया है। तुलसीदास द्वारा वाहन आरजे 30 जी 2289 जो श्रीराम फाइनेंस कंपनी अर्थात उनकी कंपनी के पास हाइपोथिकेटेड था, को जेतीदेवी से खरीदना बताया। जेतीबाई उक्त वाहन पर उनकी कंपनी का लोन होते हुए हाइपोकेथेड वाहन को किसी अन्य को नहीं बेच सकती थी। उक्त वाहन पर हाइपोकेथेसन होते हुए उक्त वाहन की स्वामी श्रीराम फाइनेंस कंपनी थी। किंतु जेतीदेवी ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी के पास हाइपोंकेथेड वाहन को बिना कंपनी की जानकारी में लाये किसी अन्य को बेच दिया। इस मामले की रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस थाना राजनगर में दी गई

थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। उक्त वाहन के हाइपोंकेथेसन से संबंधित दस्तावेज व स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति पेश की थी, जो प्रदर्श पी 3 है। उक्त लोन की एग्रीमेंट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 4 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। हाइपोकेथेड उक्त वाहन की आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व हाइपोंकेथिसन का पृष्ठांकन है। जेती बाई द्वारा उनकी कंपनी के पास हाइपोकेथेड वाहन को बेचने से उनकी कंपनी के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना हाइपोकेथेड वाहन को बेचा नहीं जा सकता। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानात से व रिपोर्ट प्रपी.1 के अवलोकन से मुलजिम जेती के द्वारा वाहन टाटा एलपी टी 2515 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 30 जी 2289 पर दिनांक 26.06.12 को 4,87,000/— रूपए का ऋण प्राप्त किया एवं दिनांक 19.06.14 तक 78,575/— रूपए अदा किए जाने एवं शेष किश्तों की अदायगी में चूक किए जाना प्रमाणित है।

11. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य गवाह पी.ड.2 मुबारिक हुसैन परीक्षित हुआ है जो कि मुलजिम तुलसीदास को स्टाम्प प्रपी.6 बेचान करने का गवाह होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह राजसमंद में लाइसेंसी स्टाम्प विक्रेता है। स्टाम्प लाइसेंस नंबर 2/19 है। दिनांक 25.10.2012 को उसकी दुकान पर तुलसीदास व जेतीदेवी व उसका पति नेनालाल आये थे। तुलसीदास ने उससे एक 50 रूपये का स्टाम्प खरीदा था, जो उसने स्टाम्प वेडिंग रजिस्टर के क्रमांक 3918 पर दर्ज कर तुलसीदास को बेचा। रजिस्टर पर तुलसीदास ने हस्ताक्षर किये। सटाम्प वेल्डिंग का रजिस्टर, रजिस्टर कार्यालय में जमा हो गया। वह स्टाम्प प्रदर्श पी 6 है, जिस पर स्टाम्प विक्रय का पृष्ठांकन व तुलसीराम के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 6 स्टाम्प उसने ही टाइप किया था।

12. इसी के साथ गवाह पी.ड.3 जमनालाल जो कि प्रपी.13 स्टाम्प मुलजिम पुष्कर के द्वारा क्रय करना कथित करता है एवं अपने मुख्य परीक्षण में इस संदर्भ में यह कथन करता है कि वह राजसमंद मुख्यालय पर लाइसेंसी स्टाम्प विक्रेता है। दिनांक 15.04.2013 को पुष्करलाल उसकी स्टाम्प की दुकान पर आया जिसने उससे 100 रूपये का स्टाम्प खरीदा। जिसे उसने स्टाम्प विक्रय रजिस्टर के क्रम संख्या 220 पर दर्ज किया, जिस पर स्टाम्प क्रेता पुष्कर ने हस्ताक्षर किये। स्टाम्प विक्रय रजिस्टर, रजिस्टर कार्यालय में जमा हो चुका है। स्टाम्प वेंडिग का लाइसेंस 08/2 है। पुष्कर को जो स्टाम्प विक्रय किया था वह प्रदर्श पी 13 है जिस पर उसका

पृष्ठाकंन, क्रेता पुष्कर व उसके हस्ताक्षर व मोहर अंकित है। यह स्टाम्प पुष्कर ने इकरारनामा के लिए खरीदा था।

13. इसी के साथ अन्य गवाह पी.ड.6 डूंगरसिंह जो कि स्टाम्प प्रपी.6 व प्रपी.13 को नोटेरी करने का गवाह है। यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 12.02.2013 को वह नोटेरी राजसमंद के रूप में कार्यरत था। उस दिन श्रीमती जैती देवी ने तुलसीदास निवासी हल्दीघाटी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद को एक टाटा ट्रक 2515 नंबर आर जे 30 जी 2289 को विक्रय कर विक्रय इकरार विलेख निष्पादित किया था जो प्रदर्श पी 6 है जिसे उसने जेती देवी व तुलसीदास की उपस्थिति में प्रदर्श पी 6 को नियमानुसार नोटेरी किया था। प्रदर्श पी 6 पर उसके हस्ताक्षर व मुद्रा अंकित है, एक्स स्थान पर जैती देवी का निशानी अंगुष्ठ व तथा तुलसीदास क्रेता के हस्ताक्षर है व नेनालाल के हस्ताक्षर है। दिनांक 15.04.13 को तुलसीदास विक्रेता व क्रेता पुष्करलाल ने वाहन नंबर आर जे 30 जी 2289 का विक्रय इकरारनामा उसके समक्ष नोटेरी हेतु पेश किया जो प्रपी.13 है जिस पर उसके, तुलसीदास, पुष्कर के हस्ताक्षर हैं।

14. उपरोक्त गवाहान् के बयानात के अतिरिक्त पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो पत्रावली पर जेतीदेवी के द्वारा वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/— रूपए का श्री राम फाईनेंस कंपनी से दिनांक 26.06.12 को ऋण प्राप्त करने के संबंध में वाहन के हाईपोथिकेशन से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रपी.3 पेश है जिस पर गवाह पी.ड.1 ब्रांच मेनेजर के मय सील हस्ताक्षर हैं। इसी के साथ लोन एग्रीमेण्ट की प्रमाणित प्रति प्रपी.4 भी न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर पेश की गई है जिस पर एक्स स्थान पर मुलजिमा जेतीदेवी की अंगुठा निशानी एवं जेतीदेवी के पति नैनालाल व घीसूसिंह के भी हस्ताक्षर हैं। इसी के साथ पत्रावली पर हाईपोथिकेशन वाहन की आर.सी. की प्रमाणित प्रति प्रपी.5 भी पेश की गई है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेज से यह तथ्य प्रमाणित है कि मुलजिम जेतीदेवी द्वारा अपने वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/— रूपए का श्री राम फाईनेंस कंपनी से दिनांक 26.06.12 को ऋण प्राप्त किया था।

15. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर प्रपी.6 स्टाम्प पेश है जिसके अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि मुलजिमा जेतीदेवी के द्वारा अपने वाहन टाटा एलपीटी 2515 रजिस्ट्रेशननंबर आर.जे.30 जी 2289 को तुलसीदास को दिनांक 25.10.12 को

1,51,000/— रूपए साई पेटे प्राप्त कर वाहन पेटे बकाया राशि 30 किश्तों में प्रति किश्त 20,000/— रूपए प्रतिमाह 05 तारीख को श्रीराम फाईनेंस कंपनी में जमा करवाने एवं इसमें कोई लापरवाही नहीं करने, सम्पूर्ण राशि अदा करने के बाद वाहन अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिए जाने की शर्त पर बेचान किए जाना प्रमाणित है। उक्त प्रपी.6 पर मुलजिमा जेतीदेवी की अंगुठा निशानी एवं तुलसीदास के व जेतीबाई के पति के हस्ताक्षर हैं। उक्त स्टाम्प प्रपी.6 की ताईद में गवाह पी.ड.2 मुबारिक हुसैन व पी.ड.6 डूंगरसिंह के द्वारा बयान दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य स्टाम्प पी.ड.13 भी पेश है जिसके अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि मुलजिम तुलसीदास के द्वारा प्रश्नगत वाहन अर्थात जेतीदेवी के द्वारा जिस वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर प्रार्थी की श्रीराम फाईनेंस कंपनी से ऋण प्राप्त किया गया था को मुलजिम पुष्करलाल को तुसलीदास के द्वारा दिनांक 15.04.13 को वाहन को मय लोन की किश्तों 71,000/— रूपए में विक्रय करने एव 21,000/— रूपए नकद अदा करने व शेष 50,000/— रूपए दिनांक 15.05.13 तक विक्रेता को अदा करने तथा शेष रकम का श्रीराम फाईनेंस कंपनी का लोन 5,00,000/— रूपए जमा करवाने की शर्त पर बेचान किया गया। उक्त स्टाम्प की ताईद में गवाह पी.ड.2 मुबारिक हुसैन व व पी.ड.6 डूंगरसिंह के द्वारा बयान दिए गए हैं। इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन संदेह से परे प्रमाणित है कि मुलजिम जेतीबाई के द्वारा वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 के संबंध में 4,87,000/— रूपए का श्रीराम फाईनेंस कंपनी से ऋण प्राप्त कर सम्पूर्ण किश्तों की अदायगी किए बिना ही वाहन को तुलसीदास को जरिए प्रपी.6 बेचान कर दिया एवं तुलसीदास के द्वारा उक्त वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 को मुलजिम पुष्करलाल को जरिए प्रपी.13 बेचान किया गया। जहां तक धारा 420 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप का प्रश्न है तो इस संबंध में विधिक प्रावधान का अवलोकन किया जावे तो धारा 420 भा.द.सं. के तहत निम्न तथ्य वर्णित है :—

धारा 420— छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना— जो कोई छल करेगा, और तदद्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है. पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों

में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

16. इस प्रकार धारा 420 भा.द.सं. के तहत आरोपी का प्रारम्भ से ही धोखा देने का आशय होना आवश्यक तत्व है। इस संदर्भ में मुलजिमान् की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया हैः–

1- 2015 Cr.L.R. (SC) 1067 International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI) & Ors. Versus Nimra Cerglass Technics (P) Ltd. & Anr.

17. उक्त न्यायिक दृष्टांत में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 420 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से यह तथ्य साबित किया जाना आवश्यक है कि मुलजिम का प्रारम्भ से ही धोखा देने का बेईमानीपूर्ण आशय रहा हो। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत व विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो पत्रावली पर प्रस्तुत गवाहान् की ओर से यह साक्ष्य नहीं दी गई है कि मुलजिमा जेती का उसके वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर श्रीराम फाईनेंस कंपनी से ऋण प्राप्त करते समय प्रार्थी कंपनी को धोखा देने का आशय रहा हो। इसी के साथ मुलजिमा जेती के द्वारा लिये गये ऋण के संबंध में कुछ किश्तें जमा करवाई जाना भी प्रकट होता है।

जहां तक मुलजिम जेती पर धारा 406 भा.द.सं. के दण्डनीय आरोप का प्रश्न है तो दस्तावेज प्रपी.4 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मुलजिम जेती के द्वारा उसके वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/– रूपए का ऋण दिनांक 26.06.12 को प्राप्त किया गया था। जहां तक अधिवक्ता मुलजिम का यह कथन है कि प्रपी.4 पर अंगुठा निशानी अभियुक्ता जेती की नहीं है तो इस संदर्भ में न्यायालय का विनम्र न्यायिक मत यह है कि सर्वप्रथम तो गवाह पी.ड.1 रिपोर्टकर्ता ने प्रपी.4 पर "एक्स" स्थान पर अभियुक्ता जेती की अंगुठा निशानी होना कथित किया है तथा इसके अतिरिक्त स्वयं मुलजिमा जेती ने भी उक्त एक्स स्थान पर स्वयं की अंगुठा निशानी नहीं होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई एफएसएल जांच नहीं करवाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रपी.3 से भी यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्ता जेती द्वारा उसके वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर प्रार्थी कंपनी से लिये गये ऋण के संदर्भ में उसके द्वारा किश्तें जमा करवाई गई हैं। यदि अभियुक्ता जेती

फर्द प्रपी.4 के जरिये अपने वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर प्रार्थी कंपनी से लोन प्राप्त नहीं करती तो उसके द्वारा प्रार्थी कंपनी को किश्तें क्यों चुकाई गई, यह मुलजिमा जेती ने स्पष्ट नहीं किया है। जहां तक प्रपी.6 पर नोटेरी के नंबर का अंकन नहीं होना व दो माह बाद नोटेरी होने का प्रश्न है तो केवल इस तथ्य से यह प्रमाणित नहीं है कि दस्तावेज प्रपी.6 की लिखापढी नहीं हुई हो या जेती के द्वारा वाहन संख्या आर.जे.30 जी 2289 जिस पर प्रार्थी कंपनी से उसके द्वारा ऋण लिया गया था, मुलजिम तुलसीदास को बेचा नहीं गया हो। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिमा जेती के विरूद्ध धारा 406 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय आरोप प्रमाणित होते हैं।

18. इसके अतिरिक्त जहां तक मुलजिम रामचन्द्र पर परिवादी कंपनी में मुलजिम जेतीबाई के ट्रक संख्या आर.जे.30 जी 2289 के हाईपोथिकेशन पर रहते हुए एवं उक्त ट्रक के हाईपोथिकेशन पर होना जानते हुए खरीदना एवं अपने कब्जे में रखकर बेईमानीपूर्वक आशय से बेचे गये ट्रक से संबंधित साक्ष्य का विलोप करने के आशय से उक्त बेचे गये ट्रक को काटकर खुर्द बुर्द किए जाने का प्रश्न है तो इस संदर्भ में पत्रावली पर गवाह पी.ड.5 तुलसीराम व पी डब्ल्यू–9 मुकेश चंद परीक्षित हुए हैं जिनमें से गवाह पी.ड.5 तुलसीराम के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 26.12.2014 को थाना राजनगर में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 144 / 14 के अनुसंधान अधिकारी महेशचंद्र जी ने उसके व किशनसिंह जी कानि की उपस्थिति में अभियुक्त पुष्करलाल के कब्जे से ट्रक नंबर आर जे 30 जी 2289 का एक रेडियेटर काले रंग का व एक बेटरी सफेद रंग की साइड में आर अंग्रेजी में लिखा हुआ जिसको जब्त कर चिटचस्पा किया गया, अभियुक्त के रिहायशी मकान से पुष्करलाल की निशादेही से उसके कब्जे से जब्त किया गया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 8 है। बरामदगी स्थल फर्द प्रदर्श पी 9 है जिन पर उसके, किशन, पुष्कर व एएसआई महेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 11.02.2015 को अनुसंधान अधिकारी महेशचंद्र ने उसकी व मुकेशकुमार की उपस्थिति में राजनगर पर अभियुक्त रामचंद्र को गिरफतार किया था जो फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 10 है जिस पर उसके, मुकेश, अभियुक्त रामचंद्र व महेशचंद्र एएसआई के हस्ताक्षर है। किन्तु गवाह पी.ड.5 तुलसीराम के द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि आरोपी रामचन्द्र को पुलिस थाना राजनगर से ही गिरफ्तार किया गया था एवं गवाह ने इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है

कि मुलजिम को गिरफ्तारी से पूर्व कहां से लेकर आए।

19. इसी के साथ गवाह पी.ड.9 मुकेश चंद के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 11.02.2025 को थाना राजनगर पर कानि. के पद पर तैनात था। थाना राजनगर के प्रकरण संख्या 144/14 के आईओ महेशचंद्र एएसआई ने उसकी उपस्थिति में आरोपी रामचन्द्र को गिरफ्तार किया जो प्रपी.10 है जिस पर उसके, तुलसीराम, रामचन्द्र व महेश के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.02.15 को देबारी से भीलवाडा जाने वाले रास्ते पर रामचन्द्र ने आगे चलकर उन्हें मातेश्वर मोटर बॉडी रिपेयरिंग के सामने ले जाकर बताया कि उसने पुष्करलाल डांगी से प्राप्त ट्रक नं. आर.जे.30 जी 2289 को यहां काटा था जिसकी फर्द घटना स्थल तस्दीक प्रपी.14 है जिस पर उसके, आरोपी व महेश चन्द्र के हस्ताक्षर हैं, वह महेश चन्द्र अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर उसके उच्चाधिकारी होने से जानता है। दिनांक 15.02.15 को आरोपी रामचन्द्र ने उसकी व रोशनलाल की उपस्थिति में बेडवास थाना प्रतापनगर में आरोपी रामचन्द्र के मकान से ट्रक नं. आर.जे.30 जी 2289 की पुरानी नंबर प्लेट, एक इंजन का हेड बरामद करवाया जिसकी फर्द प्रपी.16 है। उक्त बरामद स्थल की फर्द प्रपी.17 है जिन पर उसके, आरोपी व महेश चन्द्र के हस्ताक्षर हैं। किन्तु उक्त गवाह पी.ड.9 मुकेश चंद के द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण की जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि जिस समय रामचन्द्र को जरिए फर्द प्रपी.10 गिरफ्तार किया गया, उस समय उसके चैतन्य या भौतिक कब्जे से कोई वस्तु जब्त नहीं की गई। गवाह ने इस तथ्य से भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि उक्त मुलजिम को कौन व कहां से लेकर आए थे। इसके अतिरिक्त यह गवाह प्रपी.14 फर्द तस्दीक घटना स्थल में वर्णित स्थान देबारी जाने एवं पुनः पुलिस थाना राजगनर आने के संबंध में कोई रोजनामचा आम की प्रति पत्रावली पर नहीं होना स्वीकार करता है। इसी के साथ यह गवाह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि फर्द जब्ती प्रपी.16 के "के" से "एल" स्थान पर तथाकथित रिपोर्ट दर्ज करवाने की दिनांक 19.06.15 अंकित की गई है। उक्त "के" से "एल" भाग में कहीं भी वर्ष 2014 अंकित नहीं है और वह जिस प्रकरण में बयान देने आया है, उक्त एफआईआर "के" से "एल" भाग पर अंकित दिनांक की नहीं है। इसी के साथ यह गवाह प्रपी.14 फर्द तस्दीक घटना स्थल में वर्णित स्थान रामचन्द्र की मिलकियत का नहीं होना स्वीकार करते हुए फर्द जब्ती प्रपी.16 व फर्द बरामदगी स्थल प्रपी.17 में वर्णित स्थान की मिलकियत के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य

पटवारी, सरपंच, सचिव या किसी भी स्थानीय जन प्रतिनिधि से अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं करना स्वीकार करता है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण गवाह प्रपी.14 फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम रामचन्द्र के मिलकियत का नहीं होना स्वीकार करता हैं।

20. इसी के साथ गवाह पी.ड.7 किशनसिंह व पी.ड.8 अवतारसिंह के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए गए हैं कि अनुसंधान अधिकारी महेशचंद्र के द्वारा अभियुक्त पुष्करलाल के कब्जे से ट्रक नंबर आर जे 30 जी 2289 का एक रेडियेटर काले रंग का व एक बेटरी सफेद रंग की जिसके उपर लाल रंग की प्लेट हो साइड में ''**एन ए वी ई आर ए**'' अंग्रेजी में लिखा हुआ एवं पुष्करलाल की सूचना के अनुसार उससे बेडवास थाना प्रतापनगर से आरजे 30 जी 2289 की दो डिस्क व एक स्टीयरिंग बॉक्स को जब्त किया था। इसी के साथ गवाह पी.ड.7 किशन व पी.ड.8 अवतारसिंह के द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण की जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि रामचन्द्र या जेतीबाई ने उनके समक्ष धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना अनुसंधान अधिकारी को नहीं दी एवं उनकी मुख्य परीक्षा में वर्णित कोई भी आर्टिकल रामचन्द्र की निशादेही या उसके चैतन्य या भौतिक कब्जे से जब्त नहीं किया गया। इस प्रकार उपरोक्त गवाहान् के बयानात से यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि जिस स्थान से सामान जब्त किया गया वह मुलजिम रामचन्द्र के कब्जेशुदा हो एवं उपर्युक्त गवाहान् जिरह में मुलजिम रामचन्द्र के कब्जे से कोई सामान जब्त होने से भी इंकार करते हैं।

21. इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष पी.ड.10 बरकत अली पेश हुआ है जो मालखाना इन्चार्ज है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 23.12.2014 को थाना राजनगर पर हैड कानि मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात था। थाना राजनगर के प्रकरण संख्या 144 / 14 के आईओ महेशचंद्र एएसआई ने आर्टिकल उसे मालखाना मे जमा करने के लिए सुपुर्द किये जो उसने मालखाना रजि0 की प्रविष्ठि संख्या 216 पर फर्द जब्तीनुसार मिलान कर जमा मालखाना किया। मालखाना रजि0 प्रपी 18 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रपी 18ए है। किन्तु अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह के दौरान गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसकी मुख्य परीक्षा में वर्णित प्रश्नगत इंजन के हैड पर किसी वाहन का कोई नंबर अंकित नहीं था, ना ही उक्त इंजन हैड पर किसी वाहन निर्माता कंपनी का नाम, मार्क या पहचान चिन्ह ही

अंकित था। इसके साथ ही गवाह ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रपी.16 फर्द जब्ती के, "के" से "एल" भाग में प्रकरण दर्ज करने की दिनांक 19.06.15 लिखी है जबकि उसके द्वारा संधारित मालखाना रजिस्टर प्रपी.18 के "ई" से "एफ" भाग में प्रश्नगत मालखाना जमा करने की दिनांक 15.02.16 अंकित है और फर्द जब्ती प्रपी. 16 के "एम" से "एन" स्थान पर प्रकरण नंबर व वर्ष 144/15 अंकित है जबकि उसके द्वारा आज न्यायालय में प्रदर्शित मालखाना रजिस्टर प्रपी.18 व प्रपी.18ए में "जी" से "एच" भाग में प्रकरण संख्या–144/2014 अंकित है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही मालखाना जमा होना प्रकट होता है। जिससे यह संदेहास्पद प्रकट होता है कि बरामदशुदा माल ही मालखाने में जमा हुआ हो।

22. इस प्रकार उपरोक्त गवाहान् के बयानात से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि मुलजिम रामचन्द्र ने आपराधिक षडयंत्र रचकर तुलसीदास से मुलजिम जेतीदेवी के खरीदे गये ट्रक को हाईपोथिकेशन में होने की जानकारी रखते हुए क्रय कर मुलजिम रामचन्द्र के द्वारा बेईमानीपूर्वक आशय से साक्ष्य का विलोप करने के लिए ट्रक को काटकर खुर्दबुर्द किया हो। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समग्र साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थी कंपनी मुलजिम जेतीदेवी के विरूद्ध यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रही है कि मुलजिम जेतीदेवी के द्वारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कंपनी से अपने वाहन टाटा एलपीटी 2515 रजिस्ट्रेशननंबर आर.जे.30 जी 2289 पर 4,87,000/– रूपए ऋण प्राप्त कर सम्पूर्ण किश्तें चुकाए बिना ही वाहन के हाईपोथिकेशन पर होते हुए उक्त वाहन को मुलजिम तुलसीदास को जरिए प्रपी.6 बेचान किया एवं उसके पेटे रूपए प्राप्त कर परिवादी कंपनी की किश्तें नहीं चुकाई व ना ही ट्रक को वापस किया। साथ ही रूपयों को अपने उपयोग में लेकर आपराधिक दुर्विनियोग किया किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान् ने यह साक्ष्य नहीं दी है कि मुलजिम जेतीबाई के द्वारा षडयंत्र रचकर उक्त ट्रक को बेईमानीपूर्वक आशय से हाईपोथिकेशन का जानते हुए क्रय किया हो एवं साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से उक्त ट्रक को काटकर खुर्द–बुर्द किया हो। अतः मुलजिमा जेतीदेवी के विरूद्ध धारा 406 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप प्रमाणित है परन्तु मुलजिमा जेती के विरूद्ध धारा 420,201,411,120बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं।

23. इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी

प्रमाणित नहीं है कि मुलजिम रामचन्द्र द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए एवं वाहन ट्रक संख्या आर.जे.30 जी 2289 के हाईपोथिकेशन की जानकारी रखते हुए भी उक्त ट्रक को खरीदकर अपने कब्जे में रखा एवं बेईमानीपूर्वक आशय से अपराध के साक्ष्य का विलोप करने के लिए उक्त ट्रक को काटकर खुर्द बुर्द कर दिया हो। इस प्रकार मुलजिम रामचन्द्र के विरूद्ध पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से धारा 201,411 भा.द.सं. का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। साथ ही उक्त मुलजिम रामचन्द्र के विरूद्ध पत्रावली पर यह साक्ष्य भी नहीं है कि मुलजिम रामचन्द्र के द्वारा श्रीराम फाईनेंस कंपनी को धोखा देने के आशय से ट्रक संख्या आर.जे.30 जी 2289 पर ऋण प्राप्त किया हो एवं सम्पूर्ण किश्तों की अदायगी नहीं कर उक्त ट्रक को बेईमानीपूर्वक आशय से बेचकर प्राप्त राशि का अपने उपयोग में लेकर आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग किया हो। अतः मुलजिम रामचन्द्र धारा 420, 406, 201,411,120बी भा.द.सं. के अपराध में दोषमुक्त किए जाने योग्य प्रकट होता है।

<u>आ दे श</u>

24. परिणामतः अभियुक्ता श्रीमती जेतीदेवी पत्नी नेनालाल माली, निवासी– देवगढ थाना देवगढ जिला राजसमन्द को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420,201,411,120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है एवं आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

इसके साथ ही अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र श्री मोतीलाल वैष्णव निवासी– बैडवास थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420,406,201,411,120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(ममता सैनी)

<u>दण्ड बाबत् सुनवाई व आदेशः–</u>

25. दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्ता जेतीदेवी ने निवेदन किया कि अभियुक्ता गरीब होकर महिला है तथा वह पिछले करीब 10 साल से इस मामले में अन्वीक्षा भुगत रही है। वह आईन्दा ऐसा कृत्य नहीं करेगी। अतः उसके प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके

विपरीत अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित होने से मुलजिमा को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

26. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हालांकि यह प्रकरण करीब 10 साल से लम्बित है परन्तु अभियुक्ता जेतीदेवी द्वारा परिवादी कंपनी से अपने वाहन पर ऋण प्राप्त कर वाहन के हाईपोथिकेशन पर होते हुए भी तुलसीदास को विक्रय किया। और प्रार्थी कंपनी को ना तो किश्तों की अदायगी की और ना ही ट्रक लौटाया। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता जेती को अर्थदण्ड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

:: दण्डादेश ::

27. अभियुक्ता श्रीमती जेतीदेवी पत्नी नेनालाल माली, निवासी– देवगढ थाना देवगढ जिला राजसमन्द को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 5000/– रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अभियुक्ता अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास भुगतेगी।

28. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पुष्करलाल पुत्र श्री रूपलाल वैष्णव, निवासी – गुडली, थाना देलवाडा जिला राजसमन्द मफरूर है इसलिए पत्रावली के सरबरक पर इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग जाया नहीं किया जावे।

(ममता सैनी)

29. निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ममता सैनी)